भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2179
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ई-माइग्रेट पोर्टल का उत्प्रवास प्रक्रियाओं पर प्रभाव

2179. **श्री शशांक मणिः**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने उत्प्रवास प्रक्रिया को सरल, व्यवस्थित और संवेदनशील बनाने के लिए ई-माइग्रेट पोर्टल कार्यान्वित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना से क्या प्रमुख लाभ हुए हैं; और
(ख) क्या सरकार के पास उक्त पोर्टल के लांच होने से आज की तिथि तक, उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त लोगों की कुल संख्या के संबंध में डेटा उपलब्ध है और पोर्टल पर सक्रिय भर्ती एजेंटों और पंजीकृत नियोक्ताओं की संख्या कितनी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री कीर्तवर्धन सिंह]

(क) ई-माइग्रेट पोर्टल, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों के लिए उत्प्रवास प्रक्रिया को सुगम बनाता है और रोजगार के उद्देश्य से 18 अधिसूचित ईसीआर देशों में से किसी में भी प्रवास कर सकता है और इसे 2014 में शुरू किया गया था। वेब-आधारित एप्लिकेशन उत्प्रवास की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी, सुरक्षित, कानूनी, मानवीय, उचित, सुविधाजनक और तेज बनाता है। यह विदेशी नियोक्ताओं (एफई), पंजीकृत भर्ती एजेंटों (आरए) और संभावित प्रवासियों सहित सभी हितधारकों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर लाता है और विदेश मंत्रालय को व्यापक और ऑनलाइन डाटाबेस तैयार करने में सक्षम बनाता है। प्रवासियों और अन्य हितधारकों को किसी भी प्रश्न/समस्या के समाधान में सहायता के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन और सहायता प्रणाली भी उपलब्ध है। फर्जी नौकरी प्रस्तावों और धोखाधड़ी/अवैध भर्ती एजेंसियों के बारे में सलाह/अलर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

14 अक्टूबर 2024 को एक अद्यतन, संशोधित और उपयोगकर्ता के अनुकूल ई-माइग्रेट पोर्टल-वी2.0 पोर्टल का उद्घाटन किया गया। इस संशोधित पोर्टल को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया गया है; जिसमें दुनिया भर के उपयोगकर्ताओं द्वारा दस्तावेजों के भंडारण और पहुंच देश भर में 5 लाख से अधिक केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से उत्प्रवास संबंधी सेवाओं की डिलीवरी को सक्षम करने के लिए कॉमन सर्विसेज

सेंटर (सीएसी); अखिल भारत ई-गवर्नेंस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए उमंग; क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना तक पहुंच को सक्षम बनाने के लिए भाषिणी; शून्य लेनदेन शुल्क के साथ एक अतिरिक्त डिजिटल भुगतान गेटवे के प्रावधान के लिए एसबीआईईपे; प्रवासियों की निर्बाध और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए आव्रजन ब्यूरो; पासपोर्ट के ई-सत्यापन के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल, अनिवार्य पीबीबीवाई पॉलिसी की खरीद के लिए बीमा कंपनियां आदि का प्रावधान है। ई-माइग्रेट मोबाइल ऐप भी पहली बार विकसित किया गया है, जो हितधारकों को पोर्टल पर उपलब्ध प्रमुख सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिसमें आवेदन की स्थिति पर नज़र रखना, पंजीकृत और अपंजीकृत भर्ती एजेंटों की सूची प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना आदि शामिल हैं।

(ख) 25 जुलाई, 2025 तक पोर्टल के माध्यम से 48 लाख से अधिक उत्प्रवास मंजूरी (ईसी) जारी की जा चुकी हैं और पोर्टल पर 2358 सक्रिय आरए और 2,93,738 एफई पंजीकृत हैं।

*****